

✓ दिनांक 19.11.2021 को निदेशक, मूँ-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्व) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कमियों के कार्यवाही।

उपरिथित :- यथा संधारित।

कार्यवाही :-

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्व) प्रशिक्षण संस्थान के कमियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम प्रशास्त्रा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बैठक में सम्मिलित होने वाले कमियों की एक सूची तैयार करें जिससे बैठक में अनुपस्थित होनेवाले कमियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके एवं बागेर अनुमति / कारण के अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.11.2021 को विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के संबंध में एवं दिनांक 22.11.2021 को तीनों एरियल सर्वे एजेंसी के साथ Village Boundary एवं अन्य मुद्रों के संबंध में होनेवाली बैठक की तैयारियों के संबंध में पृछा करने पर बताया गया कि दिनांक 22.11.2021 तक बैठक की सारी तैयारियों को पूर्ण करते हुए एजेंडा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया कि e-Office के माध्यम से ही सम्पूर्ण संचिका का उपस्थापन किया जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय में e-Office से संबंधित प्रशिक्षण कराने का भी निदेश संबंधित को दिया गया।

3. सविदा कर्मी के अवधि विस्तार के संबंध में नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे संबंधित जिलों के सविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मी के संबंध में निम्न प्रपत्र में जिलों से जानकारी प्राप्त करते हुए सूचना शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ उपस्थापित करें—

नोडल पदाधिकारी का नाम –

पद का नाम :-	जिला का नाम :-		
उक्त पद के विलङ्घ्क कितने लोग नियोजित किये गए	कितने लोग त्यागपत्र दिये	कितने कमियों की सेवा निदेशालय स्तर से विमुक्ति की गयी	अवधि विस्तार हेतु लम्बित कमियों की संख्या
1	2	3	4
			5
			6

4. बैठक में CORS से संबंधित पत्र को शीघ्र भेजने का निदेश संबंधित दिया गया।

पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:-

क्रमसंख्या	संबंधित कर्मी / कोषांग	बैठक में दिये गए निदेश	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी विशेष सर्वेक्षण कोषांग	i वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का वितरण ii मार्बल एवं तकनीकी मार्गदर्शिका	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के वितरण के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 05 प्रतियों को छोड़कर सभी प्रतियों का वितरण किया जा चुका है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि यदि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की प्रतियों की आवश्यकता हो तो इससे संबंधित अधियाचना उपलब्ध करायी जाय। मार्बल एवं तकनीकी मार्गदर्शिका में कई प्रावधान ऐसे हैं जिनका अनुचित फायदा उठाकर सुनवाई में गड़बड़ी की जा रही। सकती है, जिसमें आवश्यक संशोधन करते हुए इसका दूसरा संस्करण प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।
		iii महत्वपूर्ण पत्रों को संकलित कर पुस्तक के रूप में छपाई हेतु उपलब्ध कराना	कार्य अब तक लम्बित। इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि माह-जनवरी से जून तक एवं माह-जुलाई से दिसम्बर तक दो संस्करणों में निदेशालय स्तर से निगत महत्वपूर्ण पत्रों/आदेश/अधिसूचनाओं आदि को संकलित कर पुस्तक के रूप में छपाई का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय।
		iv निदेशालय स्तर पर संचालित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैनुअल का संकलन	कार्य अब तक लम्बित। इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि प्रपत्र-18, 18क, 19 एवं 20 की इन्टी से संबंधित मैनुअल तैयार किया जा रहा है। इसके तैयार होने के पश्चात् एक साथ सभी सॉफ्टवेयर के मैनुअलों का संकलन करते हुए प्रकाशित की जाएगी।
		v प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का Gol राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव	इस संबंध में जानकारी दी गयी कि पिछले वितीय वर्ष (2020-21) तक के सभी प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का Gol राशि से समायोजन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

	श्री राकेश कुमार, सहायक	i मैजिक / महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन / सॉफ्टवेयरों के संकलित मैनुअल की छपाई।	इस संबंध में बताया गया कि अन्य पुस्तक / मैनुअल की प्रति प्राप्त होते ही छपाई का कार्य शीघ्र सम्पन्न करा लिया जाएगा।
		ii मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि का भुगतान मासिक विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।	इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के लम्बित विपत्रों का भुगतान एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित किया जाय।
		iii लम्बित विपत्र का भुगतान।	इस संबंध में निदेश दिया गया कि कार्यालय व्यय से तभी आवंटन दिया जाय जब व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद से भुगतान सम्बन्ध न हो अथवा तकनीकी समस्या हो।
	iv केंद्री मामले में आवंटन	v बजट से संबंधित	कार्य अब तक लम्बित।
3.	श्री बब्लु कुमार, सहायक	i विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्तु पदाधिकारियों का प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	पुनः निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के बजट शीर्ष के बारे में गाईडलाइन आदि मंगाकर एवं बिपार्ड तथा ट्रेजरी से उक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त करें एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।
3.		ii विशेष सर्वेक्षण कानूनगों का प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	इस संबंध में बताया गया की कार्य पूर्ण हो गया है।
		iii विशेष सर्वेक्षण अमीन (आमानत) का प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	इस संबंध में बताया गया कि केवल 07 कर्मी का शेष है।
		iv फोल्डरों को R2R सॉफ्टवेयर में Attach करना।	इस संबंध में बताया गया कि केवल 07 कर्मी का शेष है।
4.	श्री अमित कश्यप, उ0व0ल10	i विशेष सर्वेक्षण अमीन का प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	विहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कमियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव
		ii विशेष सर्वेक्षण लिपिक का प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	इस संबंध में जानकारी दी गयी कि 3455 में से 1760 प्रमाण पत्रों का सत्यापन लम्बित है।
		iii फोल्डरों को R2R सॉफ्टवेयर में Attach करना।	कार्य लम्बित
		iv प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	इस संबंध में बताया गया की कार्य पूर्ण हो गया है।

5.	प्रशार्खा पदाधिकारी	i	प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु राशि की मांग से संबंधित प्रशार्खा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में अभियानों यथा – सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य से जानकारी प्राप्त की गयी लौकिक उन विभागों से सत्यापन हेतु राशि की मांग नहीं की गयी।	
		ii	कबाड़ से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन	कार्य लगीबन इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि समिति की बैठक हो गयी है एवं आली बैठक के पूर्व इससे संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
		iii	e-Office हेतु संचिकाओं का स्कैनिंग	इस संबंध में बताया गया कि सभी संबंधित द्वारा चालू संचिकाओं का स्कैनिंग किया जा चुका है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित सहायक/लिपिक से उक्त से संबंधित प्रतिवेदन लिखित रूप से लेते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22.11.2021 तक उपस्थापित किया जाय।
		iv	R2R सॉफ्टवेयर में संविदा मोहर्रि का Provision	इस संबंध में निदेश दिया गया कि संविदा मोहर्रि कर्मियों को R2R सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने हेतु पूर्व में संविदा मोहर्रि से संबंधित विवरणी को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में Responsibility Fix करते हुए इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
		v	स्थापना से संबंधित मामला	स्थापना से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई के लम्बित मामलों का निराकरण तीन दिनों के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
6.	आईटी० कोषांग	i	विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के फोल्डरों को R2R सॉफ्टवेयर में Attach करने में सहायता करना	इस संबंध में बताया गया कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
7.	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक	i	हेल्पलाईन संचालन प्रक्रिया	हेल्पलाईन संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसके संचालन एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु पदा० / कर्मा० को नामित करते हुए संचिका में प्रत्तिव उपलब्ध कराया जाय।

श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक	ii	बन्दोबस्तु कार्यालयों के समीक्षा हेतु औनलाईन प्रपत्र	बन्दोबस्तु कार्यालयों के समीक्षा हेतु औनलाईन प्रपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में निदेश किए गए कार्यालय, आवश्यक संशोधन कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपर्युक्त किया जाय।
	iii	डोर स्टेप डिलेवरी	डोर स्टेप डिलेवरी के उद्धाटन से संबंधित तैयारियों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग तथा संबंधित सहायक/प्रोग्रामर से सम्पर्क स्थापित करते हुए करना सुनिश्चित किया जाय।
8.	श्री मुन्ना कुमार चौधरी, ठ0व0लि0	i	लाईब्रेरी का संचालन
9.	श्री सुमन जी कपूर, नि0व0लि0	i	बेलटॉन से संबंधित

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की समीक्षात्सक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं हो सका है को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह) \\\(2)

निदेशक
भू-अभिलेख एवं प्रेसकाप
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक २६-११-२०२१
प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :- १५८/गो
प्रतिलिपि :- प्रभारी, आई0टी0 कोषाग, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक

१५८/२
निदेशक